फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

रामलाल बनाम तहसीलदार उनियारा

किस्म मुकद्दमा धारा 136 एल.आर. एक्ट नम्बर 18 सन्..

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
6/1	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत रानीपुरा पर ~~[illegible]~~ पेश हुयी। वादी के वकील उपस्थित। प्रकरण में मजमे आम मौका परचा पटवारी हल्का व भू.अभि. के द्वारा बनाया गया। मुताबिक मौका पर्चा ग्राम देवपुरा कलां पंचायत रानीपुरा रामदेव s/o भूरा जाति गुर्जर व रामलाल पि० भूरा दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसको दोनो नामो से जानते है। वास्तविक नाम रामलाल पि० भूरा जाति गुर्जर है। ग्राम पंचायत रानीपुरा मे रामदेव पुत्र भूरा नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशन कार्ड पहचान पत्र व ग्राम बालापुरा फ०ह० बोसरिया जमाबन्दी साल 2068-71 मे प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र भूरा लाल अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे खाता संख्या 69 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 7-07 है० वाके ग्राम देवपुरा कलां तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र भूरा के स्थान पर रामलाल पुत्र भूरा दर्ज कर	2

राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें। तहसीलदार
उनियारा को पालना हेतु लिखा जावे।
निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा
होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर
दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner